# न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/1649

1. धनीराम यादव पुत्र श्री भागमल यादव, जाति यादव, निवासी ग्राम खानपुर, तहसील टपूकड़ा जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान। ––अपीलान्ट

**बनाम**

1. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान। **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थितिः–

1. **श्री विजय सिंह राठौड़,एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

**दिनांकः 06.01.2026**

## निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जिला खैरथल–तिजारा, द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2025 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम 1959 आयुध संशोधित अधिनियम 2019 की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्ष 2015 से निरन्तर शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण आयुध अधिनियम की शर्तो के अनुसार करवाये जाने पर अनुज्ञापक प्राधिकारी द्वारा किया जाता रहा है और उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर अनुज्ञप्ति धारक द्वारा धारित शस्त्र 32 बोर पिस्टल वेपन नम्बर आरपी 187874 एवं 315 बोर राईफल वेपन नम्बर एबी 1402171 जिसका लाईसेन्स नम्बर एलएन 29482ए7ए1ए318 एवं यूआईएन नम्बर 294820006761582015 है, को प्राप्त कर रखी थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के द्वारा आवेदन पर जान माल की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए अनुज्ञापक प्राधिकारी द्वारा एक शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 29482ए7ए1ए318 अवसान तारीख 31.12.2023 वैधता जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान के नवीनीकरण हेतु दिनांक 12.12.2023 प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार जांच कर चालाना संख्या 83428314 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण शुल्क 7,500/–रूपये राजकोष मे जमा करा कर पुलिस अधीक्षक भिवाडी से शस्त्र अनुज्ञा पत्र पंजयीन/नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया गय एवं चालाना संख्या 83428402 दिनांक 12.12.2023 डीआईजी रजिस्ट्रार एण्ड कलक्टर स्टाम्प जिला कलक्टर के समक्ष शस्त्र 32 बोर पिस्टल वेपन नम्बर आरपी एवं 315 बोर राईफल वेपन नम्बर एबी 1402171 के लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 3,575/–रूपये अदा किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाथी के नवीनीकरण आवेदन पर जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा के पत्रांक 1238 दिनांक 19.12.2023 को पुलिस थानाधिकारी भिवाड़ी द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को आयुध अधिनियम के अधीन सत्यपन रिपोर्ट भिजाने बाबत पत्र जारी किया गया। जिसकी अनुपालना में पुलिस थानाधिकरी भिवाडी द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई कि आवेदक मूल रूप से भिवाडी का रहने वाला है, आवेदक के विरूद्ध मुताबित रिकार्ड थाना हाजा के कोई अभियोग पंजीबद्ध नही है, आवेदक का चरित्र उत्तम पाया गया। आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र

**P.T.O.**

नवीनीकरण वेपन निजी सुरक्षा हेतु लिया है। आवेदक धनीराम यादव का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जावे तो कोई आपत्ति नही है, हेतु जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् जिला कलक्टर के पत्रांक 185 दिनांक 27.01.2025 को आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया कि आयुध नियम 2016 के नियम 24 के उप नियम 2 के अनुसार आयुध गोला बारूद्ध के लिये किसी अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिऐ आवेदन ऐसे प्रारूप में विनिर्दिष्ट उक्त अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के कम से कम 60 दिन पूर्व प्रारूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को फाईल होगा, के प्रावधान है। समक्ष न्यायालय द्वारा उक्त विलम्ब के कारण का शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष अविलम्ब पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदक द्वारा उक्त निर्देश की पालना करते हुए विलम्ब का सशपथ सपष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आवेदक के द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष शस्त्र नवीनीकरण हेतु जानकारी चाही गई, तो सक्षम अधिकारी ने बताया की आपका कार्य प्रोसेज में है, अभी आपके नवीनीकरण में समय लगेगा। आवेदक कई बार कलक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगाता रहा तथा नवीनीकरण की जानकारी करने हेतु बार–बार सम्पर्क करने पर किसी प्रकार का कोई सन्तुष्टिपूर्ण जवाब नही दिया। अन्त में दिनांक 25.08.2025 को आवेदक द्वारा वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया तो मालूम चला की जिला कलक्टर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण नही करने हेतु आदेश क्रमांक प.न्याय/2025/381 दिनांक 18.02.2025 को आदेश पारित कर दिया है। जिस पर आवेदक द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 25.08.2025 को ही आवेदन किया तथा आवेदक द्वारा दिनांक 27.08.2025 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर समस्त तथ्य जानकारी में आये कि अपीलान्ट का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया है। जिस पर अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के रीडर साहब से पुंछ–तांछ करने पर अधीनस्थ न्यायालय के रीडर साहब द्वारा मौखिक बताया गया कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पुनः बहाल करने हेतु सक्षम न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत करों। जिस पर आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2023 तक वैध था एवं अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन शस्त्र अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने के 19 दिवस पूर्व दिनांक 12.12.2023 को किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अनुज्ञापक प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश दिनांक 18.02.2025 विधि विधान, प्राकृतिक न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने तथा पारित आदेश में कानूनी एवं तथ्यात्मक गंभीर त्रुटि व भूल कारित की गई है। इसलिये प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अनुज्ञापक प्राधिकारी का उक्त आलौच्य आदेश इसलिये भी निरस्तनीय है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिऐ दिनांक 12.12.2023 को आवेदन किया गया था। इस प्रकार शस्त्र अनुज्ञापक प्राधिकारी के द्वारा बिना न्यायिक मनन किये एवं बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये उक्त आलौच्य आदेश पारित कर गंभीर कानूनी भूल की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूपेन्द्र सिंह अम्बोधन गढवी बनाम गुजरात राज्य व अन्य 2009 क्रिमनल लॉ जनरल 207, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायिक सिद्धान्त में भी यह

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास अपील फाईल करने का वैधानिक अधिकार है, उस सम्प्रेषित नही किया गया एवं इसके परिणाम स्वरूप अपील देरी से फाईल की गई, यह कहा जा सकता है कि देरी की माफी हेतु पर्याप्त आधार बनता है। देरी से माफी के लिऐ इन्कार अनुपर्युक्त है। इस प्रकार भी पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पास जो अनुज्ञा पत्र जारी किया गया था वह अलवर जिले से जारी किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा खैरथल–तिजारा नया जिला बनने के कारण लाईसेन्स के नवीनीकरा की स्थिति स्पष्ट नही थी। इस कारण उक्त पारित अलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अनुज्ञापक प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या एलएन29482ए7ए1ए318 जिला खैरथल–तिजारा का नवीनीकरण किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि आयुध नियम 2016 के नियम 24 के उपनियम (2) के अनुसार आयुध और गोला बारूद के लिऐ अनुज्ञप्ति समाप्त होने के कम से कम 60 दिन पूर्व प्रारूप मे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को फाईल होगा, के प्रावधान है। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2021 तक वैध था एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु आवेदन शस्त्र अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने के 19 दिवस पश्चात् दिनांक 12.12.2023 को आवेदन किया गया। गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.05.2019 एवं आर्म्स नियम 2016 के नियम 24 उपनियम 2 अनुसार अपीलार्थी का आवेदन निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही करने के आधार पर अपीलार्थी का आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण आवेदन पत्र विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही खारिज किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2025 के विरूद्ध दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञा पत्र की अवधि दिनांक 31.12.2023 समाप्त होने के 19 दिवस पूर्व दिनांक 12.12.2023 को किया गया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय खैरथल–तिजारा द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि (60 दिवस पूर्व) आवेदन प्रस्तुत नही करने पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2025 पारित

किया गये है। अपीलार्थी का विलम्ब के सम्बन्ध में कथन रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा खैरथल–तिजारा नया जिला बनाने के कारण लाईसेन्स की नवीनीकरण की स्थिति स्पष्ट नही थी। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2023(2)आर.आर.टी. पेज 1115 में अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

"Condonation of delay-liberal and Justice oriented approach needs to be adopted-Substantive rights of the parties should not be defeated only on the geound of delay-Dicision on which the impugned judgment is based has been overruled is not a ground to condone the delay-Application under Saction 5 was drafted very casually- Held, Delay condoned to subserb the justice."

माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख (लिबरल अप्रोच) अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में डिले कण्डोन किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**अतः आदेश है कि:–** अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा का आदेश क्रमांक प. न्याय/2025/381 दिनांक 18.02.2025 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के विलम्ब को क्षम्य करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।